

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 010/2025(रा.अ.) (GCMS 2025/153)	दायर दिनांक 19.06.2025	निर्णय दिनांक 08.10.2025
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

श्रीमती लीलादेवी पत्नी जगदीश चन्द्र तिवारी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी गोपालनगर तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी**बनाम**

1. पटवारी, पटवार हल्का मानपुरा, तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थागण

उपस्थिति :- पूरणमल स्वर्णकार
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)

अपीलार्थी
प्रत्यर्थी

अपील बनाराजगी निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसील बस्सी प्रकरण संख्या 1350/2025 अनवानी पटवारी पटवार हल्का मानपुरा बनाम श्रीमती लीलादेवी अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम निर्णय आदेश दिनांक 15.05.2025

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध प्रत्यर्थागण के तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी प्रकरण संख्या 1350/2025 अनवानी सरकार जरिये पटवारी हल्का मानपुरा बनाम लीलादेवी तिवारी अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 15.05.2025 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की ओर से स्थगन हेतु स्थगन प्रार्थना-पत्र पृथक से पेश किया गया है।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थागण की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार बस्सी के पत्रांक/राजस्व/2025/467 दिनांक 11.07.2025 से से उनकी मूल पत्रावली



संख्या 1350/2025 निर्णय दिनांक 15.05.2025 अनवानी सरकार बनाम लीलादेवी तिवारी अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। प्रकरण में प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश की गई है। प्रकरण में उभयपक्षकारान की सहमति से स्थगन प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर पत्रावली को वास्ते बहस अपील हेतु रखा गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि उक्त अनवान के अपील/प्रार्थना-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी की और से पेश की गई जिसमें प्रार्थी/अपीलार्थी ने दिनांक 14.06.2025 व 15.06.2025 को शनिवार, रविवार का राजकीय अवकाश होने से अपील पेश नहीं की जा सकी है अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अपीलार्थी का धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश करना आवश्यक हुआ है। इस बाबत् अपीलार्थी का सच्चा शपथ-पत्र पेश किया गया है, अतः अपील प्रस्तुत में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र में अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन कराया एवं बताया कि अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 15.05.2025 की जानकारी अपीलार्थी को रही है एवं जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, अतः अपील अपीलार्थी को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज फरमाई जावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने अपीलार्थी का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना-पत्र का मनन किया। विभिन्न उच्च न्यायालयों प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु को उदारता पूर्वक देखा जाना चाहिये एवं प्रकरण में विलम्ब से प्रस्तुति का उचित कारण अपीलार्थी की और से प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में हुये समस्त विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 010/2025 अनवानी श्रीमती लीलादेवी बनाम सरकार वगैराह अपील



अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत अपील को मियाद अवधि में शुमार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत मियाद को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलार्थी को अन्दर अवधि शुमार किया जाता है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम मानपुरा, तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ के खसरा नम्बर 872 रकबा 0.40 हैक्टेयर खसरा नम्बर 875 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि से सम्बन्धित है और भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में और प्रार्थीगण द्वारा सन् 1981 से औद्योगिक उद्देश्य के लिए उक्त आराजी का उपयोग-उपभोग किया जा रहा है।

दिनांक 30.03.1989 के आदेश के तहत तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली का आदेश जारी किया और प्रार्थीगण के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया गया था और तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.03.1989 को पारित बेदखली के उसी आदेश को प्रार्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के समक्ष चुनौती दी जिसके प्रकरण संख्या 025/1989 राजस्व अपील अनवान जगदीशचन्द्र बनाम तहसीलदार चित्तौड़गढ़ वगैराह है। जिसके तहत बेदखली के आदेश दिनांक 30.03.1989 को खारिज कर दिया गया और तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को औद्योगिक उद्देश्य के लिए कब्जे वाली भूमि के नियमितीकरण प्रस्ताव श्रीमान आपको भिजवाने के न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये थे और आप श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे प्रकरण संख्या 025/1989 में अतिरिक्त कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश को इसके साथ प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण संख्या 025/1989 में अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार ने औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से प्रार्थीगणों के पक्ष में भूमि नियमितीकरण का प्रस्ताव आप श्रीमान के बजाय उपखण्ड अधिकारी को भेजा तथा उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रस्ताव को आप श्रीमान् जिला कलेक्टर को भेजने की बजाय दिनांक 16.07.1991 के आदेश के माध्यम से प्रार्थीगण के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित किया इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किया गया कि चित्तौड़गढ़ उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 16.07.1991 के बेदखली के आदेश को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (आरएए) न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी इसे अपील संख्या 396/1992 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का दृष्टिपात कराया एवं बताया कि मौजा गोपालनगर की आराजी संख्या 875 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म भूमि चरागाह दर्ज रेकार्ड है। किस्म भूमि चरागाह होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की



धारा 16 अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों उद्यभूत नहीं होते हैं। विवादित आराजीयात किस्म भूमि चरागाह अभिलिखित है एवं चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है।

अपीलार्थी का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा जो अपील में जो आद्यौगिक आवंटन/नियमन के तथ्य उठाये गये हैं, उन तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आराजीयात जैरबहस वर्तमान में चरागाह दर्ज रेकार्ड है, एवं अधीनस्थ तहसीलदार बस्सी द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है, अतः तहसीलदार, बस्सी के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थीगण को भूमि के विनियतिकरण के सम्बन्ध में एक ओर कार्यवाही शुरू की गयी दिनांक 26.11.1992 के आदेश के अनुसार औद्योगिक उद्देश्य से भूमि के नियमितिकरण के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के दावे को खारिज कर दिया गया और दिनांक 26.11.1992 के आदेश को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी गयी और अपील संख्या 099/1993 के रूप में अपील दर्ज हुई। अपील संख्या 396/1992 और अपील संख्या 099/1993 को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.1993 के आदेश के साथ स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 31.11.1992 व 16.07.1991 को निरस्त करते हुए प्रकरण आप श्रीमान् कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित करने के निर्देश दिये कि प्रकरण में सुमचित जांच कर एवं पुनरावेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाकर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रार्थीगण को औद्योगिक प्रयोजनार्थ नियमन हेतु आदेश पारित करें। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के रिमाण्ड आदेश के पश्चात् आप श्रीमान् जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई ठोस निर्णय कार्यवाही पारित नहीं किया गया तथा आज भी पत्रावली श्रीमान् आपके यहां विचाराधीन हैं। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1981 से ग्राम मानपुरा के खसरा नम्बर 872 रकबा 0.40 हैक्टेयर खसरा नम्बर 875 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि से संबंधित है और भूमि प्रार्थीगण के कब्जे और प्रार्थीगण द्वारा सन् 1981 से आद्यौगिक उद्देश्य के लिए



उक्त आराजी का उपयोग-उपभोग किया जा रहा है और आद्यौगिक गतिविधियां चला रहा है। इसलिए वे आद्यौगिक उपयोग के लिए भूमि आवंटित कराने के हकदार है लेकिन श्रीमान् आप द्वारा प्रार्थीगण के दावे पर विचार नहीं किया गया।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.11.2015 को वर्ष 19851 से प्रार्थीगण का क्रेशर, ऑफिस, मजदूरों के मकान व बाउण्ड्रीवॉल बने हुए जिनकी कार्यवाही जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के यहां विचाराधीन है, जिसके संबंध में पेश किया था। श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसके प्रकरण संख्या 033/2015 है जिसमें स्थगन आदेश न्यायालय से प्राप्त हुआ है। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 033/2015 प्रार्थना-पत्र विरुद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 096/1992, 099/1993 में संयुक्त निर्णय दिनांक 30.09.1993 के विरुद्ध दिनांक 01.12.2015 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ को पेश किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर में दिनांक 08.07.2020 को दर्ज किया गया। न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर के आदेश 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गयी तथा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर प्रकरण संख्या 014/2021 प्रार्थना पत्र/चित्तौड़गढ़/निर्णय दिनांक 27.12.2021 आदेश पारित किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय में पत्रावलियां लम्बित हो उनका शिघ्र नियमानुसार निस्तारण करें।

उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान् आप जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ उक्त वर्णित आराजीयात को प्रार्थीगण को औद्यौगिक प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में श्रीमान् न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ में प्रकरण संख्या 015/2025 वाद अनवान नारायण बनाम सरकार बाद जांच दिनांक 17.01.2025 को दर्ज होकर विचाराधीन है जो दिनांक 27.03.2025 को वास्ते तलबी पेशी नियत थी।

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ में प्रकरण संख्या 015/2025 वाद अनवान नारायण सरकार बाद जांच दिनांक 17.01.2025 को दर्ज होकर विचाराधीन हैं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अलग से प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसके प्रकरण संख्या 016/2025 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन होकर उसमें दिनांक 12.03.2025 को वास्ते तलबी पेशी नियत थी।

उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रार्थीगण की ओर से एक सिविल पीटिशन पेश की गयी जिसके प्रकरण संख्या 4322/2026 हैं जो 17.02.2025



को निस्तारित की जाकर आप श्रीमान् को जांच कर नियमानुसार उक्त वर्णित आराजियात को औद्योगिक प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटित कर प्रकरण का निस्तारण करें। श्रीमान् जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ क्रमांक/सतर्कता/परिवाद/2025/213 दिनांक 09.05.2025 से तहसीलदार बस्सी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत मानपुरा, ग्राम गोपालनगर की आराजी नम्बर 872 एवं 875 में प्रार्थीगण का क्लेशर प्लांट, बजरंग स्टोन इण्डस्ट्रीज पार्टनरशिप जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर 08AHIPT5070F2Z6 जो कि करीब 47 वर्ष से अधिक समय से लगा हुआ है, जो मध्यम औद्योगिक उपयोग किया जा रहा है, प्रार्थीगण को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित/विनियमितकरण की स्वीकृति प्रदान करने बाबत उक्त परिवाद की प्रति प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख हैं कि प्रकरण में वर्णित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर उसकी सूचना जिला कलेक्टर को प्रेषित किये जाने बाबत आदेशित किया गया। जिसकी भी तहसीलदार बस्सी ने पालना नहीं की है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत एक नोटिस न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 1350/2025-26 सरकार बनाम लीलादेवी तिवारी में आराजी नम्बर 875 रकबा 0.09 हेक्टर में दिनांक 03.04.2025 को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया जो प्रार्थीगण को दिनांक 02.04.2025 को प्राप्त हुआ। उक्त आराजीयात से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होकर वास्ते पेशी दिनांक 03.04.2025 को अधिवक्ता ने न्यायालय में वकालत नामा पेश किया एवं आयन्दा पेशी दिनांक 28.04.2025 को जवाब उल जवाब प्रार्थीगण की ओर से पेश किया उसके बाद पेशी दिनांक 15.05.2025 को तहसीलदार बस्सी ने प्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट लिये बगैर प्रार्थीगण के जवाब को सुना नहीं गया और अपने हिसाब से अतिक्रमी मानते हुए 15.05.2025 को फैसल कर दिया जो कि हम प्रार्थीगण को न्याय नहीं मिला एवं उक्त जमीन सम्बन्धी श्रीमान् के न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं जिसका नोटिस तहसीलदार बस्सी को भी प्राप्त हो चुका है जिसके बावजूद श्रीमान् के न्यायालय में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर मनमर्जी से प्रार्थीगण को बेदखल किया जा रहा है। जिसका नोटिस कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट बस्सी क्रमांक/राजस्व/2025/371 दिनांक 05.06.2025 को श्रीमान् से पुलिस जाप्ता एवं भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश किया गये हैं जो हम प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा हम करीब 47-48 वर्षों से वहां पर काबिज हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि अपील प्रार्थी/अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी के द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.05.2025 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की रोशनी में उक्त प्रकरण का निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईशुतुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।



पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि - “अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2025 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा ?”

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91. Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। हमने राजस्व विधियों का गहनता पूर्वक चिंतन मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। आराजीयात जैरबहस चरागाह दर्ज रेकार्ड है जिसके हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार तहसीलदार में निहित है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार बस्सी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस जारी कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधिक किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय उसे वहां से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को



जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अतिचार के मामले में, उसे तहसीलदार के आदेश से, तीन माह तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलार्थी को विधिक प्रावधानों के अध्यक्षीन अपीलार्थी को नोटिस कर सुनवाई प्रारम्भ की तथा अपीलार्थी के उपस्थित होने पर अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में उठाये गये समस्त तथ्यों को परीक्षण करने के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी निर्णय दिनांक 15.05.2025 पारित किया जाना जाहिर होता है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करके विधिक प्रावधानों के तहत सुनवाई का प्रकरण की समुचित कर अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया।

अपीलार्थी द्वारा स्वयं अतिक्रमण किया जाना अपील में अंकित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा आद्यौगिक आवंटन/नियमन के तथ्य को उठाया गया है कि इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आराजीयात जैरबहस जो कि अपीलार्थी की वर्तमान में अतिक्रमित भूमि है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चरागाह दर्जरिकार्ड है। आद्यौगिक आवंटन/नियमन के संबंध में किसी भी प्रकार से अभिवचन/विश्लेषण किया जाना हस्तगत प्रकरण की परिधि से भिन्न विषय है जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का विवेचन/विश्लेषण हस्तगत प्रथम अपील में किया जाना समीचीन नहीं होना। हस्तगत प्रकरण का निर्णय का आधार बिन्दु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह भूमि दर्ज होना ही है।

अपीलार्थी द्वारा पूर्व वर्षों में अतिक्रमण का तथ्य उठाया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा विगत वर्षों में किये गये अतिक्रमित रकबा से भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा कर अतिक्रमित भूमि को अतिचार से मुक्त कराये जाने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने पर पुनः धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना जाहिर है। अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्येक अतिक्रमण वर्ष में शास्ति आरोपित करने एवं अतिक्रमित रकबा पर कब्जे राज कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने से अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण करना जाहिर है। अतिक्रमित भूमि पर लाखों की लागत लगाने का प्रश्न है, यहाँ उल्लेखनीय है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों के संबंध में लागत लगाने या भूमि सुधार करने या कब्जा पुराना होने से कोई भी अतिक्रमी भूमि का मालिक या भूमि पर आधिपत्य रखने का अधिकारी नहीं हो जाता है। इस संबंध



में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से निर्देश प्रदान किये गये हैं कि अवैधताओं को नियमित नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों के साझा हितों को केवल इसलिए प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि अनधिकृत कब्जा कई वर्षों से जारी है। यहाँ प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक होन के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी की होने से किसी भी प्रकार से निजी उपयोग-उपभोग हेतु प्रयोग में नहीं ली जा सकती है, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया लम्बे समय से कब्जे का तथ्य पूर्णतः सारहीन हो जाता है।

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.आई. बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनाम राधेश्याम साहू, 1999(6) एससीसी 464 में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विध्वंस के बाद एक पार्क के जीर्णोद्धार का आदेश दिया था। फ्रेंड्स कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी बनाम उड़ीसा राज्य, 2004 (8) एससीसी 733 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि जहां कानून गैर-स्वीकृत निर्माणों की प्रशमन (Compounding) करने की अनुमति देता है, वहां भी ऐसा प्रशमन (Compounding) केवल अपवाद के रूप में होना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक: प.10(3)राज-6/2001/08 दिनांक 26.07.2017 से निर्देश जारी किये गये हैं कि चरागाह आरण जोहड श्मशान कब्रिस्तान आदि शामिलता भूमि पर हुये अतिक्रमणों से मुक्त कराने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावें। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार बस्सी द्वारा अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत की कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में चरागाह भूमि को उस श्रेणी में रखा गया है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी भूमि आवंटन के संबंध में बनाये गये नियमों में भी उस श्रेणी की भूमियों को आवंटन से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.9(17)राज-6/2017/09 दिनांक 06.01.2021 के केवल मात्र आत्यंतिक आवश्यकताओं के लिये वर्णित प्रयोजनार्थ हेतु चरागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने के प्रावधान प्रावधित है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/नियमों एवं आदेशों में वर्णित दिशा-निर्देशों की पालना में अतिक्रमित चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा कर मूल स्वरूप में लाया जाना ही एकमात्र विकल्प है।

चरागाह भूमि के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत् संबंधित तहसीलदार को विधि अनुसार शक्तियां प्राप्त हैं ताकि राजकीय



भूमि पर अवैधानिक/जबरन/कब्जे/अतिक्रमण को रोका जा सके, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2(44) अनुसार अतिक्रमी करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के परिशीलन से निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2025 में किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2025 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, जिससे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2025 संपुष्ट किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 010/2025(रा.अ.) अनवानी श्रीमती लीलादेवी बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा अपने प्रकरण संख्या 1350/2025 निर्णय दिनांक 15.05.2025 अनवानी सरकार बनाम श्रीमती लीलादेवी को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.10.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़